न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-62/2015

1- भींवाराम पुत्र स्व0 दीपाराम
2- मनफूली पत्नी स्व0 सुखदेवा
3- श्योपाल पुत्र भींवाराम
4- रामनिवास पुत्र भींवाराम

जाति जाट निवासीगण सवाईपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर हाल आबाद कोछोर ढाणी ख0नं0 1927 तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

---अपीलान्टस्---

---बनाम---

1- भंवरलाल पुत्र स्व0 श्योबक्स
2- घीसाराम पुत्र स्व0 लिछमा
3- नारायण पुत्र स्व0 रामूराम
4- धन्नी पत्नी स्व0 रामूराम

जाति कुम्हार निवासीगण कोछोर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

5- तहसीलदार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।
6- कुमारी ममता पुत्री स्व0 सुखदेवा
7- कुमारी मुन्नी पुत्री स्व0 सुखदेवा

जाति जाट निवासी सवाईपुरा हाल कोछोर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

---रेस्पोडेन्टस्---

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
दिनांक 22-5-2015 द्वारा
सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक)
दांतारामगढ ।

---0---

उपस्थिति-

1- श्री नोपाराम जांगिड एडवोकेट- अपीलान्ट
2- श्री रामावतार शर्मा एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय दिनांक- 20.12.2017

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट सं0-1 से 4 ने अदालत मातहत में दावा बाबत इस्तकरार हक हुक्म इस्तनाई दवामी एवं दुरूस्ती इन्द्राजात का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कोछोरमें आराजी खसरा नं0 553 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, ख0नं0 562 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, ख0नं0 570 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा, ख0नं0 571 रकबा 16 बीघा 19 बिस्वा कुल किता-4 रकबा 32 बीघा 13 बिस्वा जिसके हाल ख0नं0 1857 रकबा 0.35 हैक्टर, ख0नं0 1869 रकबा 0.15 हैक्टर, ख0नं0 1884 रकबा 0.08 हैक्टर, ख0नं0 1885 रकबा 0.20 हैक्टर, ख0नं0 1886 रकबा 0.11 हैक्टर, ख0नं0 1905 रकबा 0.90 हैक्टर, ख0नं0 1928 रकबा 1.59 हैक्टर, ख0नं0 1931 रकबा 0.31 हैक्टर, ख0नं0 1932 रकबा 0.46 हैक्टर, ख0नं0 1933 रकबा 0.01 हैक्टर, ख0नं0 1934 रकबा 0.53 हैक्टर, ख0नं0 1935 रकबा 0.01 हैक्टर, ख0नं0 1936 रकबा 0.07 हैक्टर, ख0नं0 1937 रकबा 0.20 हैक्टर, ख0नं0 1938 रकबा 0.08 हैक्टर, ख0नं0 1943 रकबा 0.03 हैक्टर, ख0नं0 1944 रकबा 2.90 हैक्टर, ख0नं0 1843/2710 रकबा 0.08 हैक्टर, ख0नं0 1867/2787 रकबा 0.08 हैक्टर, ख0नं0 1870/2788 रकबा 0.05 हैक्टर, ख0नं0 1928/2816 रकबा 0.07 हैक्टर, कुल किता-21 कुल रकबा 8.26 हैक्टर में वादी सं0-1 व 2 का 1/2 हिस्सा तथा वादी सं0-3 व 4 का 1/2 हिस्सा है । जिसका वादीगण के पूर्वजों ने अर्सा करीब 40 वर्ष पूर्व ही बाहमी बंटवारा कर लिया था । तथा बाहमी बंटवारा के अनुसार ही मौके पर काबिज है । ख0नं0 1928 व 1905 में ढाणी बनाकर आबाद है । ख0नं0 1928 व 1905 से लगता ही उतरादी तरफ प्रतिवादी सं0-1 से 4 की कृषि भूमि खसरा नं0 1927 तथा 1926 अवस्थित है ।प्रतिवादीगण ग्राम सवाई पुरा के निवासी है तथा प्रतिवादीगण के खेत के उत्तर साईड में ही ग्राम सवाई पुरा अवस्थित है। प्रतिवादीगण सदैव से ही अपने खेतों में ग्राम सवाईपुरा से चल कर आते जाते है । वादीगण की भूमियां प्रतिवादीगण की भूमियों के दक्षिण में अवस्थित है । एक आम रास्ता ग्राम कोछोर से गोवटी जाता है । उक्त रास्ता से वादीगण संख्या- 1 व 2 की कृषि भूमि ख0नं0 1928 व 1905 उत्तर की तरफ है। वादी सं0-1 व 2 सदा से ही उक्त रास्ते से आते जाते रहे हैं ।

किन्तु प्रतिवादीगण ने भू-प्रबन्ध विभाग के अमीन/निरीक्षक से षडयन्त्र कर पूर्ण अवैध तरीके से रास्ता वादीगण के खेत ख0नं0 1928 से पूर्वी सींव के सहारे-2 नक्शा ट्रेस में कटवा दिया तथा राजस्व रेकार्ड में नवीन खसरा नं0 1928/2816 रकबा 0.07 हैक्टर गै0मु0 रास्ता अंकित करवा दिया। जबकि मौके पर वादीगण के खेत में से कोई रास्ता नहीं है । तथा ना ही पहले कभी रहा ना ही पहले के रेकार्ड में रास्ता कटा हुआ है । भू-प्रबन्ध विभाग ने बिना किसी अधिकार के यह रास्ता काटा है । उक्त इन्द्राज वादीगण के अधिकारो पर बेअसर है । जिसको वादीगण दुरूस्त कराने का अधिकार रखते हैं । अतः योग्य अदालत मातहत ने बाद सुनवाई वादीगण का दावा स्वीकार कर ख0नं0 1928/2816 रकबा 0.07 हैक्टर गै0मु0 रास्ता हजफ किया जाकर रकबा 0.07 हैक्टर ख0नं0 1928 में शामिल किये जाने का आदेश दिया । इस आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अपीलान्ट उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग पीढियों से करते आ रहे हैं। मौके पर रास्ता मौजूद है । रास्ता मौके पर मौजूद होने पर ही सैटलमेन्ट विभाग ने रास्ता दर्ज किया है। जिसका ख0नं0 1928/2816 रकबा 0.07 हैक्टर गै0मु0 रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया है जो सही है । अदालत मातहत ने रास्ते की अनदेखी कर इस रास्ते का हजफ किया जाकर खातेदारी में दिये जाने का आदेश विधि के विपरित पारित किया है । अदालत मातहत ने तनकी संख्या-1 को केवल सैटलमेन्ट द्वारा वादीगण को सुनवाई का मौका न देकर रास्ता दर्ज कर दिया । इस कारण तनकी संख्या-1 को वादीगण के पक्ष में निर्णित करने में कानूनी भूल की है ।जबकि सैटलमेन्ट ने यह रास्ता वादीगण एवं गांव के लोगों की मौजूदगी में मौके पर रास्ता होने पर दर्ज किया है ।इस तथ्य पर अदालत मातहत ने कोई गोर न कर अपना निर्णय दिया है । कानूनन रास्ते का खातेदार वादीगण को घोषित नहीं किया जा सकता । अदालत मातहत ने इन तथ्यों पर गौर न कर अपना निर्णय दिया है ।अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि आराजी खसरा नं0 1928/2816 रकबा 0.07 हैक्टर गै0मु0 रास्ता है जो मौके पर मौजूद है । मौके पर मौजूद होने पर ही सैटलमेन्ट विभाग ने इस रास्तें को रेकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज किया है । एक बार गैर मुमकीन रास्ता दर्ज होने के बाद उस भूमि की खातेदारी किसी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-16 के अनुसार नहीं दी जा सकती किन्तु अदालत मातहत ने इस तथ्य पर कोई गौर न कर राजस्व रेकार्ड को नजर अन्दाज कर अपना निर्णय पारित किया है ।योग्य अदालत मातहत ने निर्णय में दर्ज किया है कि प्रतिवादीगण के आने जाने के लिये पर्याप्त रास्ता ग्रेवल सडक का है । यहां पर सवाल यह नहीं था कि प्रतिवादीगण के रास्त है अथवा नहीं । यह रास्ता तो सैटलमेन्ट विभाग ने सर्वे के समय मौके की स्थिति के अनुसार बनाया है । अदालत मातहत ने अपने निर्णय में केवल ख0नं0 1928/2816 रकबा 0.07 हैक्टर रास्ता को राजस्व रेकार्ड से हजफ कर ख0नं0 1928 में रास्ते का रकबा जो 0.07 हैक्टर जोडकर दर्ज करने के आदेश दिये है वह विधि के विपरित है ।अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अदालत मातहत के निर्णय को उचित ठहराते हुये कथन किया कि ख0नं0 1928/2816 रकबा 0.07 हैक्टर सैटलमेंट से पूर्व के रेकार्ड में नहीं था न ही मौके पर यह रास्ता था । इस रास्ते को सैटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों ने गलत रूप से दर्ज किया है । मौके पर यह रास्ता न तो पहले था और न ही वर्तमान में है केवल राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया है ।अदालत मातहत ने गत नक्शा एव हाल नक्शा का अवलोकन कर राजस्व रेकार्ड का अवलोकन करने के बाद दिया है। मौके की रिपोर्ट ली गई जिसमें यह रास्ता मौके पर चालू नहीं होने पर अदालत मातहत ने अपना निर्णय पारित किया है । प्रतिवादीगण को उनके खेत में आने जाने के लिये ग्रेवल सडक

बनी हुई है जिससे अपीलान्ट आते जाते हैं । इनके खेत में आने जाने में कोई परेशानही नहीं है ।अपीलान्ट अपने खेत में ट्रेक्टर जीप व ऊट गाडी ग्रेवल सडक से ही लेकर जाते हैं तथा अपनी फसल को भी इस रास्ते से लाते व ले जाते हैं । अपीलान्ट कभी भी गै0मु0 रास्ता जो सैटलमेन्ट ने विधि के विपरित काट दिया उससे नहीं आये गये हैं । आज भी मौके पर ख0नं0 1928/2816 रकबा 0.07 हैक्टर चालू नहीं है जो मौके की रिपोर्ट से स्पष्ट हैं ।अपीलान्ट ने अपनी जिरह में भी रास्ता 7-8 साल से बन्द बताया है ।अदालत मातहत ने अपना निर्णय तनकीवाईज पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नहीं है । अपीलान्ट की अपील को खारिज किया जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 11-5-2015 के अनुसार :-

(अ) पत्थर डालकर रास्ता अवरूद्ध
(ब) खण्डहरनुमा मकान
(ऐ से बी) कटान शुदा रास्ता ख0नं0 1928/2816
(क से ख) मौके पर ग्रेवल सडक ख0नं0 1944
(ग से घ) मौके पर ग्रेवल सडक ख0नं0 1954
(घ से ड) मौके पर ग्रेवल सडक ख0नं0 1952 व 1953
(च से छ) मौके पर सडक ख0नं0 1945 आंशिक हिस्सा ख0नं0 1952 व 1951 का आंशिक हिस्सा

रिपोर्ट में दर्ज किया गया कि मौके पर "ए" से "बी" रेकार्ड में दर्ज खातेदारी दर्ज रास्ता मौके पर बन्द है। चिन्हित स्थान पर पत्थर डालकर रास्ता बन्द है। बिन्दू सं0-"क" से "छ" तक रास्ता रेकार्ड में दर्ज नही है । किन्तु मौके पर नजरी नक्शा अनुसार ग्रेवल सडक बनी हुई है ।इस प्रकार मौके की रिपोर्ट के अनुसार ग्रेवल सडक जो नजरी नक्शे में रास्ता दर्ज किया है वह राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं है ।तथा ख0नं0 1928/2816 रकबा 0.07 हैक्टर रेकार्ड में रास्ता दर्ज है उसे पत्थर डालकर बन्द कर रखा है । तथा रास्ते में एक मकान बिना छत व किवाड का अवरोध के हिसाब से बना रखा है । मौके

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

मौका रिपोर्ट के अनुसार ग्रेवल सडक जो बनी हुई है वह रेकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं है तथा ख0नं0 1928/2816 रकबा 0.07 हैक्टर जो रेकार्ड में रास्ता दर्ज है उसे पत्थर डालकर बन्द किया जाना रिपोर्ट से साबित है । रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि रास्ता जो रेकार्ड में दर्ज है उसे जबरन बन्द किया गया पत्थर डालकर बन्द करना स्पष्ट है । तथा एक बिनाछत का खण्डरनुमा बिना किवाड का मकान बताया है ।सैटलमेन्ट ने इस रास्ते को रेकार्ड में मौके के अनुसार दर्ज किया है । रास्ता दर्ज किये जाने के बाद पत्थर डालकर बन्द किया गया है । प्रदर्श-पी-1 जमाबन्दी सं0- 2051, प्रदर्श-पी-2 जमाबन्दी , प्रदर्श-3, प्रदर्श-4 का अवलोकन किया गया । प्रदर्श-3 में गत ख0नं0 553, 562, 570, 571, में कोई रास्ता नहीं है । प्रदर्श-4 में ख0नं0 1928 की पूर्वी सींव के सहारे सहरेर दर्ज किया हुआ है । तथा मौक की रिपोर्ट में जो ग्रेवल सडक दिखाई गई है वह रास्ता नक्शे में दर्ज नहीं है । नक्शे में केवल कटानी रास्ता ख0नं0 1928/2816 दर्ज है । जिसको मौका रिपोर्ट में पत्थर डालकर बन्द करना बताया है । इससे यह स्पष्ट है की मौके पर कटान शुदा रास्ते को वादीगण न पत्थर डालकर बन्द किया है । जिसकी खातेदारी अदालत मातहत ने वादीगण को विधि के विपरित डिक्री दी है ।अदालत मातहत ने राजस्व रेकार्ड के विपरित तनकीयों का निर्णय दिया है जो उचित नहीं है ।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) दांतारामगढ का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22-5-2015 को खारिज किया जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 20.12.2017 को सुनाया गया ।

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर